प्रेषक,

मोनिका एस; गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई संबंधित प्रखण्ड ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 06.7.2017

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं0-83 के अधीन ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग/चेकडैमों का निर्माण हेतु सामान्य योजना में लेखा अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम पॉच माहों हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र सं0-जी-447/ल0सिं0/बजट-3/2016-17,दिनांक 07.4.2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02.01.2017 व दिनांक 20.03.2017 के संदर्भ में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग चेकडैमों के निर्माण हेतु सामान्य योजना मे लेखा अनुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-502.80 लाख के सापेक्ष प्रथम पॉच माहों हेतु धनराशि रू0-209.50 लाख (रू0-दो करोड नौ लाख पचास हजार मात्र) को संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष् 2017-18 के अन्तर्गत् लघु सिंचाई योजना में ग्राउन्ड वाटर चार्जिंग चेकडैमों के निर्माण पर व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(2) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(3) आपको पुन: स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) चेकडैम निर्माण का कार्य 16 प्रतिशत धनाशि मनरेगा से डबटेल करके ही की जायेगी तथा कोई भी चेकडैम निर्माण कार्य बिना मनरेगा से डबटेल किये नही की जायेगी।

(5) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लधु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(6) प्रश्नगत योजना मे प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतियॉ विभागों द्वारा गत वित्तीय वर्ष/विभागीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जनपदवार फॉट तैयार करते हुए इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि यथासमय जिला सेक्टर योजनाओं के लिए जनपदवार/योजनावार परिव्यय के निर्धारण के बाद आवश्यकतानुसार समायोजन करते हुए संशोधित की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि से भिन्न परिव्यय जनपद विशेष में आता है तो तदनुसार यथासमय स्वीकृतियॉ संशोधित कर ली जायेगी।

(7) इस योजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में विभाग द्वारा क्षेत्र विशेष का चिन्हांकन करते हुए प्रोजेक्ट के रूप मे परियोजना प्रस्तुत की जायेगी। इस संबंध में यह भी सुनिश्चित/पुष्टि किया जायेगा कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र विशेष मे अन्य विभागों द्वारा ग्राउण्ड वाटर चार्जिग/चेकडैम निर्माण योजना संचालित नही है। इस प्रकार से प्रस्तुत परियोजना पर व्यय शासन की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा।

(8) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायें जायें।

1-मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बजत विवरण	15-10-2017 तक
3-व्ययाधिक्य तथा बजत का अंतिम विवरण	15-12-2017 तक
4-वर्ष 2017-18 के आवंटन का अतिम लेखा विवरण (पुर्नविनियोग का प्रस्ताव) यदि कोई हो	15-02-2018 तक
5-आवंटन का समर्पण	15-03-2018 तक

नोट:- दिनांक 15-03-2018 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नही किया जायेगा।

2- तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजानगत-789-अन्य व्यय-06-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिग चेकडैमों का निर्माण (जिला योजना)-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-02/दस-2017-231/2017,दिनांक-02.01.2017 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक- 20.03.2017 के क्रम मे जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीया,
(मोनिका एस; गर्ग)
प्रमुख सचिव।

सं0-19/2017/956(1)/62-2-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) ।/।। उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
8- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
12- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
13- एन0आई0सी0 की प्रति।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-950/62-2-2017-2/3(14)/2017,दिनांक 06 जुलाई,2017 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखा शीर्षक-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजानगत-789-अन्य व्यय-06-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिग चेकडैमों का निर्माण (जिला योजना)-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम पॉच माहों हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण।

क्र0 सं0	जनपद	गत वर्ष में नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	बजट प्राविधान	प्रथम पॉच माहों हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	इलाहाबाद	72.80	72.80	44.50
2	फतेहपुर	36.80	36.80	25.00
3	प्रतापगढ	15.00	15.00	15.00
4	जालौन	50.00	50.00	25.00
5	ललितपुर	73.50	73.50	50.00
6	बॉदा	66.67	66.67	25.00
7	चित्रकूट	50.00	50.00	25.00
	अतिरिक्त प्राविधान		138.03	
	योग-	364.77	502.80	209.50

(रू0 दो करोड नौ लाख पचास हजार मात्र)

(संजय शुक्ला)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।